

मध्यप्रदेश शासन  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ. क्रमांक सी 3-20/87/3/49  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. खालियर,  
समस्त आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक या मुख्यालय अवकाश का  
उपभोग करने पर अनुपस्थिति की अवधि का निर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 653/505/1/3/62  
दिनांक 24 मार्च, 1962 द्वारा जारी किये गये आकस्मिक अवकाश की  
अवधि निर्धारित करने संबंधी आदेशों में जो शिक्त धारण करते हुए  
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी अधिकारी या  
कर्मचारी अपने आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक या मुख्यालय अवकाश  
का Prefix तथा Suffix का उपभोग करने के पश्चात् अपने कर्तव्य से  
8 दिवस से अधिक की अवधि के लिये अनुपस्थित नहीं हो सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

*[Handwritten Signature]*

डे.एन. श्रीवास्तव

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

*[Handwritten Mark]*

क्रमांक-2